

ई-मेल

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—
सी-1439

/स0क0/शिक्षा-अ/4/602-2/2024-25

लखनऊ : दिनांक: 26 जुलाई, 2024

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय—वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार कराने के सम्बन्ध में।

कृपया आप अवगत हैं कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मास्टर डाटा लॉक करने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से धनराशि वितरण की समस्त प्रक्रिया का प्रचार प्रसार राज्यस्तरीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व पैम्पलेट के माध्यम से तथा कॉलेजों/मण्डलायुक्त/कलेक्ट्रेट/विकास भवन/तहसील/ब्लॉक/पंचायत भवन आदि कार्यालयों में नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराये जाने हेतु उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तत्कम में निम्न बिन्दुओं के अनुसार प्रचार-प्रसार करते हुए समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करायी जानी है:-

- 1- नियमावली के मुख्य बिंदु यथा- AKTU व BTE के नॉन काउन्सिलिंग से प्रवेशित छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन न करें, बल्कि JEE Mains/JEECUP & CUET की परीक्षा में सम्मिलित होकर आवेदन करने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी, से सम्बन्धित को अवगत कराया जाय।
- 2- 75% या उससे अधिक अटेंडेन्स वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देय है, इसलिए छात्र प्रतिदिन होने वाली कक्षाओं में अध्ययन हेतु अवश्य सम्मिलित होने के निर्देश दिये जाय।
- 3- छात्र/संस्था/विश्वविद्यालय स्तर से आवेदन अग्रसारित करने में अंतिम निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करके समस्त औपचारिकता पूर्ण करके तत्काल आवेदन करने हेतु संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिये जाय।

- 4- संस्थाओं को सचेत किया जाय कि ऑनलाइन प्राप्त सभी छात्रों के आवेदन को रिसीव करते हुए नियमावली के नियमों के तहत गहन परीक्षण करके डाटा सही होने पर ही सत्यापन के उपरांत आवेदन अग्रसारित किया जाय। गलत डाटा को रिजेक्ट करें, किसी भी दशा में संस्था या विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आवेदन को पेंडिंग न रखे और गलत या फर्जी छात्रों या फर्जी अभिलेखों पर आधारित डाटा अग्रसारित न करें, से सम्बन्धित को सूचित किया जाय।
- 5- संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को निर्देशित करें कि मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या व फीस की धनराशि को ही DSC से लॉक किया जाय। फीस में हास्टल फीस या अन्य भत्ते सम्मिलित न किया जाय।
- 6- किसी भी दशा में संस्था/विश्वविद्यालय स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक छात्रों के आवेदन अग्रसारित न करें तथा विचलन की स्थिति में जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जाय।
- 7- कई विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रमों में फीस लॉक नहीं किया था, इसलिए चेतावनी दिया जाय कि सभी पाठ्यक्रम की फीस लॉक की जाय व गलत छात्रों का डाटा सत्यापित न करके डाटा को ब्लॉक किया जाय।
- 8- संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम के घोषित परीक्षाफल को विश्वविद्यालय द्वारा तत्काल साइट पर अपलोड किया जाय। संस्थाओं को सूचित किया जाय कि छात्रों के गत वर्ष के परीक्षाफल में सही-सही पूर्णांक व प्राप्तांक को भरा जाय तथा दो सेमेस्टर होने पर दोनों सेमेस्टर के पूर्णांक व प्राप्तांक को जोड़कर पेज में यथा स्थान भरवाया जाय।
- 9- भारत सरकार के पत्र दिनांक 05-06-2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के माध्यम से छात्रों को सूचित किया जाय कि छात्र द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक में खाता खोला जाय, यदि छात्रों द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है तो खाते को आधार से सीडिंग एवं एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग अवश्य करवाई जाय, से सम्बन्धित को सूचित करते हुए उक्त प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार किया जाय।
- 10- भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षण संस्थानों में INO/HOI का बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन अनिवार्य किया गया है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन कराने वाले INO/HOI ही छात्रों के आवेदन

अग्रसारित कर सकेंगे। उक्त कार्य एन0आई0सी0 के माध्यम से यथाशीघ्र कराई जायेगी, से सम्बन्धित को सूचित किया जाय।

11- छात्रों के आवेदन भी बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के उपरांत ही संस्था स्तर से अग्रसारित होंगे, इस प्रक्रिया का भी प्रचार-प्रसार किया जाय।

12- माननीय मंत्रिपरिषद के उपरांत गत वर्ष 2023-24 के सामान्य वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के कतिपय प्रकरणों में छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु 15 जुलाई से पोर्टल खोला गया है। इस क्रम में डी0एल0एड0 व स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पाठ्यक्रम, जिनके परीक्षाफल समयान्तर्गत घोषित न होने, ट्रांजेक्शन फेल, पी0एफ0एम0एस0 आदि से भी छात्र वंचित हुए थे, ऐसे संस्थाओं व उनके माध्यम से छात्रों को सूचित करते हुए उक्त का भी प्रचार-प्रसार किया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराना सुनिश्चित करें तथा बजट की आवश्यकता हो तो शीघ्रता से निर्धारित प्रक्रियानुसार मांग पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 3- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।

/

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

No. K-14011/2/2024-SCD-V
Government of India
Ministry of Social Justice and Empowerment
(Department of Social Justice and Empowerment)

Shastri Bhawan, New Delhi
Date: 20 June 2024

To
All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/Additional Secretary/Incharges
Social Welfare Department SC/OBC Welfare Department
State Nodal Officers (SNOs) of all States/UTs

Subject: Enhancing the facilities/services of India Post Payment Bank (IPPB) of Department of Posts, Government of India for opening of accounts of Pre and Post-Matric Scholarship Scheme for SC beneficiaries.

Respected Sir/Madam,

The Department of Social Justice & Empowerment implements Centrally Sponsored Scholarship Schemes for SCs namely:-

(i) Pre-Matric Scholarships Scheme for SCs & Others: The scheme aims to support, through financial assistance, parents of children belonging to Scheduled Caste and other disadvantaged categories for education of their wards studying at the Pre-Matric stage so that their participation improves, the incidence of drop-out - especially in the transition from the primary to the next level and elementary to the secondary stage - is minimized, they perform better and have a better chance of progressing to the Post-Matric stage of education.

(ii) Post-Matric Scholarships Scheme for SC Students (PFMS-SC): The objective of the scheme is to appreciably increase the Gross Enrolment Ratio of SC students in higher education with a focus on those from the poorest households, by providing financial assistance at post-matriculation or post-secondary stage to enable them to complete their education.

2. Many States/UTs have informed that due to non-Aadhaar seeding of bank accounts of the applicants, the disbursement process could not be completed on time, especially for the applicants residing in remote areas. It is informed that IPPB has huge and vast network capacity specially in the rural, remote and hilly areas.

3. All States/UTs are advised, if deemed appropriate, may coordinate with the concerned IPPB authorities under the Department of Posts at the State/UT level in reaching out to applicants and prospective beneficiaries and connecting with them so that the accounts of such applicants may be opened and Aadhaar seeding with Bank Accounts done so that the disbursement process can be completed in a faster rate. They may consider encouraging beneficiaries to open account in IPPB or any other bank having similarly facility ensuring DET. Utilizing the facilities of IPPB will be an additional option available with the eligible applicants.

4. This issues with the approval of Secretary, D/o SJ&E.

Yours faithfully,

(Gottimukkala Vijay Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Email: g.vijaykumar@nic.in

Copy for information to:-

- (i) Sh. Moupal Nanda, Pr. CCA, M/o Social Justice & Empowerment and M/o Education
- (ii) Sh. Sachita Shukla, Jr. CCA, PFMS, D/o Expenditure
- (iii) Sh. Gurcharan Das Bhatnagar, CEM & CSMD, India Post Payments Bank (IPPB), Bhau Vii Singh Nagar, Ure Market, New Delhi-110094
- (iv) Commissioners/Directors - Social Welfare Department SC/OBC Welfare Department SC/OBC Welfare Department/State Nodal Officers (SNOs) of all States/UTs dealing with Pre- and Post-Matric Scholarship Scheme for SCs with a request to provide necessary assistance and support.

